

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
रामपुर।

सेवा में

प्रबन्धक  
मार्निंग वेल्स स्कूल  
मानपुर उत्तरी स्वार।

पत्रांक/जू0हा0स्कू0मा0/ 18252-50 /2014-15 दिनांक/16-02-2015

विषय:-अशासकीय नर्सरी/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18 (20)/91 लखनऊ दिनांक 08-05-13 के प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नर्सरी से 8 तक की मान्यता नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

1. प्री-प्राइमरी से कक्षा 6से 8 तक के शिक्षण के लिए उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 की धारा-6 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अर्हताधारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा-कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से संबंधित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।
2. विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिरागें नियुक्ति का प्रकार, परिवीक्षाकाल स्थाईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी0एफ0 तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
3. विद्यालय किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
4. भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्राविधान समितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
6. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
7. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी राक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मागें जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

*(Handwritten Signature)*

जि0वा0शि0310

8/19/10101/F

8. विद्यालय द्वारा रू0 5000/- की धनराशि का एकं स्थाई कोष बनाया जायेगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम में प्रतिभूत किया जायेगा।
9. विद्यालय द्वारा पंजिकरण शुल्क, स्कूल भवन शुल्क तथा कैंपिटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित है।
10. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
11. मान्यता प्राप्त विद्यालय 25 प्रतिशत अलाभित समूह के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे।
12. प्री-प्राइमरी/प्राइमरी/जूनियर स्तर के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र संख्या 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में कक्षावार उतने ही छात्र-छात्राओं का प्रवेश दिया जाये जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था हो।
13. विद्यालय के कैंचमेंट एरिया में न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध हो सके। न्यूनतम छात्र संख्या निम्नवत् होना अपेक्षित है :-

- (क) प्री-प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल 275 (10 कक्षायें)
- अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से यह अपेक्षित होगा कि एन0सी0ई0आर0टी0/एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित अथवा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन-पाठन कराया जाय। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन-पाठन न कराया जाय और किसी विषय प्रकाशन की स्टेशनरी का कय किये जाने हेतु छात्रों पर दबाव न बनाया जाय न ही अभ्यार पुरितकाओं पर विद्यालयों का नाम मुद्रित कराकर कय हेतु बाध्य किया जाये, अन्यथा ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

उपरोक्त का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा कूटरचना/तथ्यगोपन/मान्यता की शर्तों में उल्लंघन होने से संबंधित कोई तथ्य संज्ञान में पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन का होगा।

( एस0 के0 तिवारी )  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
रामपुर।

पृ0सं0 / जू0हा0स्कू0मा0 / /2014-15 दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
3. जिला रागाज कल्याण अधिकारी, रामपुर।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रामपुर।
5. जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, रामपुर।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, रामपुर।
7. गार्ड फत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
रामपुर।

जि0बे0शि0310

9/tau folder/E:

# CHALLAN

(शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति विभाग)

**Government of Uttar Pradesh**

Uttar Pradesh Treasury Form-209(1) - Acknowledgement for Depositing Money

[To be submitted through Net-Payment]

Challan No.: <b>EDU240001023</b>	Challan Date: <b>4/30/2024 4:30:55 PM</b>
Assessment Year: <b>2023 - 2024</b>	Tax Period: <b>ONETIME</b>
Name of the Bank:	<b>State Bank of India</b>
Unique Id:	<b>RAM09058938914</b>
Depositor Name:	<b>MORNING BELLS SCHOOL</b>
Depositor Address:	<b>VILLAGE MANPUR UTTARI TEHSIL AND POST SWAR DISTRICT RAMPUR</b>

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
020201101990000	अन्य प्राप्तियां	10	5000
	Totals of the above heads	--	5000

A SUM OF Rs 5000 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE--[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]--ON *State Bank of India* HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.

(Depositor Remarks -> None)

THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPABCCPTT6, 'Success'

# CHALLAN

(शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति विभाग)

Government of Uttar Pradesh

Uttar Pradesh Treasury Form-209(1) - Acknowledgement for Depositing Money

[To be submitted through Net-Payment]

Challan No.: EDU240001025	Challan Date: 4/30/2024 5:10:12 PM
Assessment Year: 2023 - 2024	Tax Period: ONETIME
Name of the Bank:	State Bank of India
Unique Id:	RAM09057839151
Depositor Name:	MORNING BELLS SCHOOL
Depositor Address:	VILLAGE MANPUR UTTARI TEHSIL AND POST SWAR DISTRICT RAMPUR

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
020201101990000	अन्य प्राप्तियां	10	10000
	Totals of the above heads	-	10000

A SUM OF Rs 10000 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE-[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-ON *State Bank of India* HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.  
(Depositor Remarks -> None)  
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPABCCPTT6, 'Success'



# MORNING BELLS SCHOOL

Opp. Gurudwara, V.P.O. Manpur Uttari, Teh. Swar, Distt. Rampur (U.P.) 244 924

Morningbellsschool90585@gmail.com

MANPUR

Ref. No. .... CBSE/02

Date 25/05/2024

To,

The Affiliation secretary CBSE board  
Preet Vihar New Delhi

Respected Sir/Maam

The request is as follows that Morning Bells School is situated in Manpur Uttari Tehsil Swar District Rampur U.P which was recognized by the Government of Uttar Pradesh from Class Nursery to Class 8 in 2015. By which the school was re-established is operated properly. Hence, the applicant has applied through online process to get recognition certificate by CBSE Board. To get permanent recognition certificate for up to primary and junior level. The applicant had to apply again through online. For which it is taking some time to get the certificate. As soon as we receive the recognition certificate, we will immediately inform you through email.

Thank you

